

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4425
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

टेलीविजन रेटिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण

4425. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

डॉ. हेमांग जोशी:

श्री मनोज तिवारी:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री आशीष दुबे:

श्री अनिल फिरोजिया:

सुश्री कंगना रनौत:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पारंपरिक और डिजिटल दोनों प्लेटफार्मों पर दर्शकों की संख्या को सटीक रूप से मापने के लिए टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नई रेटिंग एजेंसियों के लिए प्रवेश बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अधिक पारदर्शी और मजबूत मापन ढांचे के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (ग): सरकार ने टेलीविजन दर्शक संख्या मापन प्रणाली में सुधार प्रस्तावित किए हैं।

भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों में मसौदा संशोधन सार्वजनिक परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा सृजित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर के दर्शकों की मीडिया उपभोग की विविध और बदलती आदतों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करे।
